

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़
(पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार-1)

व. मा. सं. 14/2025

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जागतसिंह पुत्र देवीसिंह 2. गथरसिंह पुत्र देवीसिंह, जातियान-रावणा राजपुत, नि० मोसेरी तह० गडरारोड़		1. दलपतसिंह पुत्र शंभूसिंह 2. तेजसिंह पुत्र शंभूसिंह 3. अजयसिंह पुत्र शंभूसिंह 4. अमरसिंह पुत्र शंभूसिंह 5. रामू कंवर पत्नी शंभूसिंह 6. महेन्द्रसिंह पुत्र चुतरसिंह 7. मोहनसिंह पुत्र चुतरसिंह 8. रेवतसिंह पुत्र चुतरसिंह 9. घनश्यामसिंह पुत्र चुतरसिंह 10. सेजकुमारी पत्नी चुतरसिंह 11. अलसिंह पुत्र भगवानसिंह 12. पदमसिंह पुत्र साहेबसिंह 13. शंकरसिंह पुत्र साहेबसिंह 14. लूणसिंह पुत्र साहेबसिंह 15. चून्सिंह पुत्र साहेबसिंह 16. पांचराजसिंह पुत्र मोटुसिंह 17. बच्चनसिंह पुत्र मोटुसिंह 18. शैतानसिंह पुत्र मोटुसिंह 19. ईश्वरसिंह पुत्र मोटुसिंह 20. लूणसिंह पुत्र भूरसिंह 21. डुंगरसिंह पुत्र भूरसिंह 22. मनोहरसिंह पुत्र भूरसिंह 23. बाबूसिंह पुत्र भूरसिंह 24. लेहरी कंवर पत्नी भूरसिंह 25. सहकारी भूमि विकास बैंक बालोतरा शाखा महावीर नगर बाडमेर 26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गडरारोड़ जिला बाडमेर

दावा बाबत विभाजन खातेदारी भूमि व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 18/11/2025

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 12.08.2025 को प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर की गई कि सरहद मौजा मोसेरी, पटवार मण्डल-खारची के खेत खसरा नम्बर 149 रकबा 17.3610 हैक्टियर , तह० गडरारोड़ जिला बाडमेर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकॉर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर विभाजन के प्रस्ताव विभिन्न रंगों में दर्शाते हुए लगान आदि निश्चित कर तहसीलदार गडरारोड़ से चाहे जाने पर तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा निम्नानुसार विभाजन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :- वादीगण की ओर से वकील श्री कंवरराज बैनिवाल एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 19 की ओर से वकील श्री कुन्दनसिंह द्वारा जवाब दावा मय काउन्टरक्लेम पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 20 से 25 की दिनांक 03.07.2025 को एक तरफा कार्यावाही अमल में लाई जा चुकी है। उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म	लगाव
1.	अजयसिंह पुत्र शंभूसिंह 1/15 अमरसिंह पुत्र शंभूसिंह 1/15 तेजसिंह पुत्र शंभूसिंह 1/15 दलपतसिंह पुत्र पुत्र शंभूसिंह 1/15 रामूकंवर पत्नी शंभूसिंह 1/15 घनश्यामसिंह पुत्र चुतरसिंह 1/15 महेन्द्रसिंह पुत्र चुतरसिंह 1/15 मोहनसिंह पुत्र चुतरसिंह 1/15 रेवन्तसिंह पुत्र चुतरसिंह 1/15 सेजकुमारी पत्नी चुतरसिंह 1/15 अलसिंह पुत्र भगूसिंह 1/3 जाति-वजीर सा. देह खातेदार	मोसेरी	149	3.4722	किस्म वा.चा.	लगाव 0.36 हैक्टियर मानी

	ह पुत्र देवीसिंह 1/2 सिंह पुत्र देवीसिंह 1/2 जाति-वजीर, सा.देह खातेदार	मोसेरी	149	3.4722	वा.चा.	0.42	वेगनी
	चुनसिंह पुत्र साहेवासिंह 1/4 पदमसिंह पुत्र साहेवासिंह 1/4 लुणसिंह पुत्र साहेवासिंह 1/4 शंकरसिंह पुत्र साहेवासिंह 1/4 जाति-वजीर सा.देह खातेदार	मोसेरी	149	3.4722	वा.चा.	0.42	लाल
4.	ईश्वरसिंह पुत्र मोटुसिंह 1/5 पांचराजसिंह पुत्र मोटुसिंह 1/5 वच्चनसिंह पुत्र मोटुसिंह 1/5 शैतानसिंह पुत्र मोटुसिंह 1/5 सजनकंवर पत्नी मोटुसिंह 1/5 जाति-वजीर, सा.देह खातेदार	मोसेरी	149	3.4722	वा.चा.	0.41	हरा
5.	डूंगरसिंह पुत्र भूरसिंह 1/5 वावुसिंह पुत्र भूरसिंह 1/5 मनोहरसिंह पुत्र भूरसिंह 1/5 लूणसिंह पुत्र भूरसिंह 1/5 लेहरी पत्नी भूरसिंह 1/5 जाति-वजीर सा.देह खातेदार	मोसेरी	149	3.4722	वा.चा.	0.41	काला

उक्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई उजर आपति लिखित में या मौखिक रूप में प्राप्त नहीं हुई है तथा वादीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त मामले में उक्त विभाजन के प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री सादिर किये जाने का निवेदन किया गया। फलस्वरूप विभाजन की अंतिम डिक्री तहसीलदार गडरारोड़ के विभाजन प्रस्ताव अनुसार एवं उक्त विभाजन प्रस्ताव बाबत किसी प्रकार की उजर आपति प्राप्त नहीं होने से विभाजन की अंतिम डिक्री सादिर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


अतः विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार सादिर की जाती है :-

क.स.	खातेदार का नाम	ग्राम का नाम	ख.न.	रकवा	किस्म	लगान	वरग
1.	अजयसिंह पुत्र शंभुसिंह 1/15 अमरसिंह पुत्र शंभुसिंह 1/15 तेजसिंह पुत्र शंभुसिंह 1/15 दलपतसिंह पुत्र पुत्र शंभुसिंह 1/15 रामकंवर पत्नी शंभुसिंह 1/15 घनश्यामसिंह पुत्र चुतरसिंह 1/15 महेन्द्रसिंह पुत्र चुतरसिंह 1/15 मोहनसिंह पुत्र चुतरसिंह 1/15 रेवन्तसिंह पुत्र चुतरसिंह 1/15 सेजमुमारी पत्नी चुतरसिंह 1/15 अलससिंह पुत्र भगुसिंह 1/3 जाति-वजीर सा. देह खातेदार	मोसेरी	149	3.4722	वा.चा.	0.42	आसमानी
2.	जामतसिंह पुत्र देवीसिंह 1/2 मथरसिंह पुत्र देवीसिंह 1/2 जाति-वजीर, सा.देह खातेदार	मोसेरी	149	3.4722	वा.चा.	0.42	वेगनी
3.	चुनसिंह पुत्र साहेवासिंह 1/4 पदमसिंह पुत्र साहेवासिंह 1/4 लुणसिंह पुत्र साहेवासिंह 1/4 शंकरसिंह पुत्र साहेवासिंह 1/4 जाति-वजीर सा.देह खातेदार	मोसेरी	149	3.4722	वा.चा.	0.42	लाल
4.	ईश्वरसिंह पुत्र मोटुसिंह 1/5 पांचराजसिंह पुत्र मोटुसिंह 1/5 वच्चनसिंह पुत्र मोटुसिंह 1/5 शैतानसिंह पुत्र मोटुसिंह 1/5 सजनकंवर पत्नी मोटुसिंह 1/5 जाति-वजीर, सा.देह खातेदार	मोसेरी	149	3.4722	वा.चा.	0.41	हरा
5.	डूंगरसिंह पुत्र भूरसिंह 1/5 वावुसिंह पुत्र भूरसिंह 1/5 मनोहरसिंह पुत्र भूरसिंह 1/5 लूणसिंह पुत्र भूरसिंह 1/5 लेहरी पत्नी भूरसिंह 1/5 जाति-वजीर सा.देह खातेदार	मोसेरी	149	3.4722	वा.चा.	0.41	काला

तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद और नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
गडरारोड़, जिला बाडमेर